नाइजर का संविधान : अनुच्छेद-वार एवं संशोधन-वार संकलन — केवल हिंदी भाषा में

ISBN NO: - 978-81-997666-6-2

AUTHOR NAME: -

MR.GANESH SHRIRANG SATARKAR

Advocate, Bombay High Court

1. **BOOK TITLE : नाइजर का संविधान : अनुच्छेद-वार एवं संशोधन-वार संकलन — केवल हिंदी भाषा में**
2. **LANGUAGE:** HINDHI
3. **ISBN: 978-81-997666-6-2**
4. **EDITION:** FIRST EDITION
5. **AUTHOR: Mr. GANESH SHRIRANG SATARKAR**
6. **PUBLISHER/ PUBLISHING AGENCY** :-
7. **M/s. INDIAN CHARTERED EXPORT COMPANY –** SHIVNERI, GAT NO 153, FARANDWADI, MANE MALA TAL PHALTAN, DIST - SATARA. MAHARSHTA, PIN 415523 INDIA
8. **CONTACT DETAILS:**
   MOBILE: +91 7066766607 **EMAIL:** GANESHNALE0@GMAIL.COM
9. **YEAR OF PUBLICATION:** 2026
10. **FORMAT:** SINGLE-COMPONENT RETAIL PRODUCT (BOOK)
11. **PRICE (IN INDIA):** ₹ 10 /- (**Printed and Published in India)**

COPYRIGHT & PUBLICATION STATEMENT

© 2026 **Mr. Ganesh Shrirang Satarkar (Nale)**
All rights reserved.
Disclaimer:
This publication is protected under applicable copyright laws. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, digitized, scanned, transmitted, copied, shared, sold, or circulated in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopying, recording, audio-visual, digital, or online—without the prior written permission of the author and the publisher, except for brief quotations permitted strictly for academic, educational, research, or review purposes This book has been authored with the sole objective of presenting research-based, educational, and informative content in a clear, responsible, and accessible manner for students, scholars, and general readers. There is no intention whatsoever to offend, defame, misrepresent, or harm the sentiments, beliefs, dignity, or rights of any individual, community, group, culture, religion, or institution. All references are included purely for scholarly discussion. Every effort has been made to ensure accuracy; however, inadvertent errors may occur. Readers are requested to inform the publisher for correction in future editions. Unauthorized reproduction or piracy is punishable under law.

नाइजर का संविधान

संक्षिप्त व्याख्या – अध्याय, अनुभाग एवं अनुच्छेद सूची (हिंदी में)

प्रस्तावना (संक्षेप में मतलब)

लोगों की संप्रभुता – संविधान को नाइजीरियाई लोगों से अधिकार मिलता है।

ऐतिहासिक निरंतरता – स्वतंत्रता (1958 और 1960) और 1991 के नेशनल कॉन्फ्रेंस को याद करता है।

कानून का शासन – स्वतंत्रता, न्याय, सम्मान, समानता, सुरक्षा और अच्छे शासन के लिए प्रतिबद्धता।

राष्ट्रीय एकता – एक शांतिपूर्ण, एकजुट और समृद्ध राष्ट्र बनाने का लक्ष्य।

सांस्कृतिक पहचान – नाइजर के सभ्यतागत और सांस्कृतिक मूल्यों की सुरक्षा।

मानवाधिकार – UDHR (1948), ICCPR और ICESCR (1966), अफ्रीकी चार्टर (1981) को स्वीकार करना।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – अफ्रीकी एकता और वैश्विक सहयोग के लिए समर्थन।

सत्ता-विरोधी – तानाशाही, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और व्यक्तित्व पंथ को पूरी तरह से नकारना।

संविधान की सर्वोच्चता – संविधान को राज्य का सर्वोच्च कानून घोषित किया गया।

I – राज्य और संप्रभुता का

अनुच्छेद 1

नाइजर एक आज़ाद, संप्रभु गणराज्य है; डेमोक्रेसी पर हमला हाई ट्रेज़न है; कैपिटल नियामे है; नेशनल सिंबल को डिफाइन करता है।

अनुच्छेद 2

स्टेट सिंबल का इस्तेमाल सिर्फ़ पब्लिक अथॉरिटी ही कर सकती हैं; गलत इस्तेमाल पर सज़ा हो सकती है।

अनुच्छेद 3

नाइजर एक यूनिटरी, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर और सोशल राज्य है जो पॉपुलर संप्रभुता, सोशल जस्टिस और नेशनल सॉलिडैरिटी पर आधारित है।

अनुच्छेद 4

संप्रभुता लोगों की है; पावर का गलत इस्तेमाल, भेदभाव, करप्शन, गुलामी और भाई-भतीजावाद सज़ा हो सकती है।

अनुच्छेद 5

सभी कम्युनिटी अपनी भाषाएँ इस्तेमाल कर सकती हैं; फ्रेंच ऑफिशियल भाषा है; नेशनल भाषाओं को बढ़ावा दिया जाता है।

अनुच्छेद 6

संप्रभुता का इस्तेमाल चुनाव और रेफरेंडम के ज़रिए किया जाता है; चुनाव CENI द्वारा सुपरवाइज़ किए जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट द्वारा वैलिडेट किए जाते हैं।

अनुच्छेद 7

यूनिवर्सल एडल्ट सफ़रेज: फ्री, बराबर, सीक्रेट; 18 साल से वोटिंग का अधिकार।

अनुच्छेद 8

नाइजर एक ऐसा राज्य है जो कानून के राज से चलता है; कानून के सामने बराबरी; राज्य और धर्म का अलग होना।

अनुच्छेद 9

पॉलिटिकल पार्टी और एसोसिएशन बनाने की आज़ादी; एथनिक, रीजनल या धार्मिक पार्टी मना हैं।

II – इंसान के अधिकार और कर्तव्य

अनुच्छेद 10

सभी नागरिक आज़ाद और बराबर हैं; कानून द्वारा इजाज़त वाले सकारात्मक उपाय।

अनुच्छेद 11

इंसानी इज़्ज़त का उल्लंघन नहीं किया जा सकता; राज्य को इसकी रक्षा करनी चाहिए।

अनुच्छेद 12

जीवन, सेहत, खाना, पानी, शिक्षा, आज़ादी और सुरक्षा का अधिकार।

अनुच्छेद 13

सबसे अच्छी शारीरिक और मानसिक सेहत का अधिकार; राज्य को मेडिकल देखभाल पक्की करनी चाहिए।

अनुच्छेद 14

यातना, गुलामी और अमानवीय बर्ताव पर पूरी तरह रोक।

अनुच्छेद 15

साफ़ तौर पर गैर-कानूनी आदेश मानने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं।

अनुच्छेद 16

नागरिकों का देश निकाला और डिपोर्टेशन मना है; इसे जुर्म माना जाएगा।

अनुच्छेद 17

कानून और नैतिकता के तहत, पर्सनैलिटी के फ्री डेवलपमेंट का अधिकार।

अनुच्छेद 18

पहले से मौजूद कानून के बिना कोई गिरफ्तारी या मुकदमा नहीं।

अनुच्छेद 19

कानून नॉन-रेट्रोएक्टिव होते हैं, सिवाय तब जब फायदेमंद हों।

अनुच्छेद 20

बेगुनाह होने का अंदाज़ा, फेयर ट्रायल, कोई एक्स पोस्ट फैक्टो सज़ा नहीं।

अनुच्छेद 21

शादी और परिवार सुरक्षित; महिलाओं और बच्चों की खास देखभाल।

अनुच्छेद 22

महिलाओं, बच्चों और विकलांगों के खिलाफ भेदभाव खत्म करना राज्य की ड्यूटी; जेंडर रिप्रेजेंटेशन पक्का करना।

अनुच्छेद 23

बच्चों को पढ़ाना माता-पिता की ड्यूटी; राज्य फ्री पब्लिक एजुकेशन की गारंटी देता है।

अनुच्छेद 24

युवाओं को शोषण से बचाया जाता है; राज्य एजुकेशन, ट्रेनिंग और नौकरी को बढ़ावा देता है।

अनुच्छेद 25

बुजुर्गों के लिए सोशल प्रोटेक्शन।

अनुच्छेद 26

विकलांग लोगों के लिए समान मौके और समाज में फिर से जुड़ना।

अनुच्छेद 27

घर की सुरक्षा; तलाशी सिर्फ़ कानून के हिसाब से।

अनुच्छेद 28

प्रॉपर्टी का अधिकार; सिर्फ़ पब्लिक मकसद के लिए मुआवज़े के साथ ज़ब्त करना।

अनुच्छेद 29

पत्राचार और कम्युनिकेशन की प्राइवेसी की गारंटी।

अनुच्छेद 30

सोच, बोलने, ज़मीर, धर्म की आज़ादी, पब्लिक ऑर्डर के अधीन।

अनुच्छेद 31

पब्लिक जानकारी पाने का अधिकार।

अनुच्छेद 32

आने-जाने, एसोसिएशन बनाने, इकट्ठा होने और विरोध करने की आज़ादी।

अनुच्छेद 33

काम करने की जगह पर काम करने, सही मज़दूरी और भेदभाव न करने का अधिकार।

अनुच्छेद 34

कानून के हिसाब से ट्रेड यूनियन और हड़ताल करने का अधिकार।

अनुच्छेद 35

एक स्वस्थ माहौल का अधिकार; ज़हरीले कचरे की डंपिंग पर रोक।

अनुच्छेद 36

मरुस्थलीकरण से लड़ने की राज्य की ड्यूटी।

अनुच्छेद 37

कंपनियों को पर्यावरण कानूनों का पालन करना चाहिए और सेहत की रक्षा करनी चाहिए।

अनुच्छेद 38

देश की रक्षा एक पवित्र कर्तव्य है; मिलिट्री सर्विस ज़रूरी है।

अनुच्छेद 39

संविधान का सम्मान करना पूरी तरह से कर्तव्य है।

अनुच्छेद 40

आम भलाई के लिए काम करना और टैक्स देना कर्तव्य है।

अनुच्छेद 41

सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा; भ्रष्टाचार और गैर-कानूनी कमाई पर सज़ा।

अनुच्छेद 42

राज्य विदेश में नाइजीरियाई नागरिकों की रक्षा करता है; विदेशियों को कानून के अनुसार अधिकार मिलते हैं।

अनुच्छेद 43

राज्य को संविधान और मानवाधिकारों का अनुवाद करना और उन्हें सिखाना चाहिए।

अनुच्छेद 44

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना करता है; एक स्वतंत्र संस्था।

अनुच्छेद 45

अधिकारों का इस्तेमाल कानून और सार्वजनिक व्यवस्था के तहत किया जाता है।

III – एग्जीक्यूटिव पावर का (अनुच्छेद 46–82)

सेक्शन 1 – रिपब्लिक का प्रेसिडेंट
अनुच्छेद 46

प्रेसिडेंट हेड ऑफ़ स्टेट, नेशनल यूनिटी का सिंबल, संविधान, सॉवरेनिटी और स्टेट की कंटिन्यूटी का गार्डियन होता है।

अनुच्छेद 47

प्रेसिडेंट को डायरेक्ट यूनिवर्सल सफ़रेज से 5 साल के लिए चुना जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा दो टर्म; एलिजिबिलिटी की शर्तें कानून से तय होती हैं; रिज़ल्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कन्फर्म करता है।

अनुच्छेद 48

प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए दो-राउंड मेजॉरिटी सिस्टम; दूसरे राउंड, मौत, नाम वापस लेने या कैंडिडेट की इनएबिलिटी के लिए डिटेल्ड नियम।

अनुच्छेद 49

प्रेसिडेंट का मैंडेट पहले वाले के टर्म के खत्म होने के तुरंत बाद शुरू होता है।

अनुच्छेद 50

प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सामने कॉन्स्टिट्यूशनल शपथ लेनी चाहिए, जिसमें डेमोक्रेसी, राइट्स, यूनिटी और गुड गवर्नेंस के प्रति लॉयल्टी की कसम खानी चाहिए।

अनुच्छेद 51

प्रेसिडेंट को 48 घंटे के अंदर एसेट्स डिक्लेयर करने होंगे; सालाना अपडेट्स ज़रूरी हैं; कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और कोर्ट ऑफ़ अकाउंट्स द्वारा मॉनिटर किया जाएगा।

अनुच्छेद 52

राष्ट्रपति और बड़े अधिकारी अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉपर्टी डीलिंग में शामिल नहीं हो सकते।

अनुच्छेद 53

खाली जगह या पूरी तरह रुकावट होने पर, अंतरिम राष्ट्रपति नेशनल असेंबली के स्पीकर होते हैं; चुनाव 90–120 दिनों के अंदर होते हैं।

अनुच्छेद 54

गंभीर बीमारी होने पर मेडिकल और पार्लियामेंट्री कन्फर्मेशन पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट द्वारा परमानेंट इनकैपेबल घोषित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 55

राष्ट्रपति का ऑफिस किसी भी दूसरे पब्लिक ऑफिस, प्रोफेशन या पार्टी लीडरशिप के साथ कम्पैटिबल नहीं है।

अनुच्छेद 56

राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर और मंत्रियों को अपॉइंट और डिसमिस करते हैं; PM सिर्फ़ डेलीगेटेड पावर्स के अंदर अंतरिम के तौर पर काम करते हैं।

अनुच्छेद 57

राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स के चेयरमैन होते हैं; एजेंडा प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर तय किया जाता है।

अनुच्छेद 58

राष्ट्रपति कानून लागू करते हैं; एक बार फिर से विचार करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं; असेंबली पूरी मेजॉरिटी से ओवरराइड कर सकती है।

अनुच्छेद 59

राष्ट्रपति सलाह के बाद नेशनल असेंबली को भंग कर सकते हैं; 60–90 दिनों के अंदर नए चुनाव।

अनुच्छेद 60

राष्ट्रपति संवैधानिक बदलावों को छोड़कर, बिलों को रेफरेंडम के लिए भेज सकते हैं; संवैधानिक कोर्ट कानूनी तौर पर उनकी समीक्षा करता है।

अनुच्छेद 61

राष्ट्रपति राजदूतों को मान्यता देते हैं और विदेशी डिप्लोमैट्स को रिसीव करते हैं।

अनुच्छेद 62

राष्ट्रपति एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होते हैं और इसकी पॉलिटिकल न्यूट्रैलिटी पक्का करते हैं।

अनुच्छेद 63

राष्ट्रपति आर्म्ड फोर्सेज़ के सुप्रीम कमांडर होते हैं, जिन्हें डिफेंस और सिक्योरिटी काउंसिल मदद करती हैं।

अनुच्छेद 64

सुपीरियर काउंसिल ऑफ़ नेशनल डिफेंस मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स और स्ट्रैटेजी पर सलाह देती है।

अनुच्छेद 65

नेशनल काउंसिल ऑफ़ सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस और स्ट्रैटेजिक हितों पर सलाह देती है।

अनुच्छेद 66

आर्म्ड फोर्सेज़ इलाके की अखंडता की रक्षा करती हैं और नेशनल डेवलपमेंट में मदद कर सकती हैं।

अनुच्छेद 67

गंभीर नेशनल इमरजेंसी में, राष्ट्रपति पार्लियामेंट्री सुपरविज़न में खास शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

अनुच्छेद 68

राष्ट्रपति कानून के अनुसार इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं।

अनुच्छेद 69

रिपब्लिक की काउंसिल आम सहमति से पॉलिटिकल संकटों को रोकने और हल करने के लिए बनाई गई है।

अनुच्छेद 70

राष्ट्रपति आदेश और अध्यादेश पर साइन करते हैं; सिविल और मिलिट्री अधिकारियों को नियुक्त करते हैं।

अनुच्छेद 71

कानून राष्ट्रपतियों और पूर्व राष्ट्राध्यक्षों के फ़ायदों और पेंशन को तय करता है।

अनुच्छेद 72

राष्ट्रपति के पास माफ़ी देने की शक्ति है, सिवाय उन अपराधों के जिन्हें लिखा नहीं जा सकता।

सेक्शन 2 – सरकार का
अनुच्छेद 73

प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं; पॉलिसी को डायरेक्ट करते हैं और कानूनों का पालन पक्का करते हैं।

अनुच्छेद 74

प्रधानमंत्री नेशनल असेंबली के सामने शपथ लेते हैं, संविधान और लोगों के प्रति वफ़ादारी की कसम खाते हैं।

अनुच्छेद 75

प्रधानमंत्री के कामों के लिए ज़रूरत पड़ने पर मंत्री के काउंटरसिग्नेचर की ज़रूरत होती है।

अनुच्छेद 76

सरकार नेशनल पॉलिसी तय करती है और उसे चलाती है; नेशनल असेंबली के सामने ज़िम्मेदार होती है।

अनुच्छेद 77

ज़्यादातर राष्ट्रपति के कामों के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रियों के काउंटरसिग्नेचर की ज़रूरत होती है।

अनुच्छेद 78

प्रधानमंत्री और मंत्रियों को 7 दिनों के अंदर अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होगी; कोर्ट ऑफ़ अकाउंट्स द्वारा मॉनिटर किया जाता है।

अनुच्छेद 79

गलत एसेट बताने पर क्रिमिनल लायबिलिटी हो सकती है।

अनुच्छेद 80

मिनिस्टर दूसरे पब्लिक ऑफिस या प्रोफेशन में नहीं रह सकते; उनका नैतिक चरित्र अच्छा होना चाहिए।

सेक्शन 3 – कोहैबिटेशन का

अनुच्छेद 81

बंटवारे वाली सरकार में, प्राइम मिनिस्टर असेंबली मेजॉरिटी लिस्ट से चुना जाता है; डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स मिलकर तय किए जाते हैं।

अनुच्छेद 82

सरकार के प्रपोज़ल पर प्रेसिडेंट द्वारा सिविल अपॉइंटमेंट।

IV – लेजिस्लेटिव पावर का

अनुच्छेद 83

लेजिस्लेटिव पावर का इस्तेमाल एक सदन वाली नेशनल असेंबली करती है; असेंबली के पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है।

IV – लेजिस्लेटिव पावर का

अनुच्छेद 84

सार्वभौमिक वोटिंग के अधिकार से चुने गए डेप्युटी; कम से कम उम्र 21 साल; उम्मीदवारों के लिए कानून के हिसाब से एजुकेशन कोटा तय किया गया है।

अनुच्छेद 85

लेजिस्लेचर 5 साल का होता है; चुनाव खत्म होने से 60–90 दिन पहले होते हैं।

अनुच्छेद 86

संवैधानिक कोर्ट लेजिस्लेटिव चुनावों की योग्यता और वैलिडिटी तय करता है।

अनुच्छेद 87

डेप्युटी पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं; कोई ज़रूरी मैंडेट नहीं; पार्टी बदलने पर सीट चली जाती है।

अनुच्छेद 88

डेप्युटी को राय और वोट के लिए पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी मिलती है; गिरफ्तारी के लिए असेंबली से इजाज़त लेनी पड़ती है।

अनुच्छेद 89

नेशनल असेंबली प्रेसिडेंट और ब्यूरो के हेड में होती है; प्रेसिडेंट संवैधानिक शपथ लेते हैं; 2/3 बहुमत से हटाया जाता है।

अनुच्छेद 90

असेंबली कानून पास करती है, टैक्स मंज़ूर करती है, और सरकार को कंट्रोल करती है।

अनुच्छेद 91

साल में दो आम सेशन: मार्च (90 दिन) और अक्टूबर बजट सेशन (60 दिन)।

अनुच्छेद 92

रिक्वेस्ट पर बुलाए गए खास सेशन; 15 दिनों तक सीमित।

अनुच्छेद 93

असेंबली की बैठकें पब्लिक होती हैं; खास मामलों में बंद सेशन की इजाज़त है।

अनुच्छेद 94

असेंबली के संगठन, अनुशासन, कमेटियों और कंट्रोल की शक्तियों को अंदरूनी नियम कंट्रोल करते हैं।

V – एग्जीक्यूटिव–लेजिस्लेटिव रिलेशन

अनुच्छेद 95

असेंबली प्रेसिडेंट और सरकार को अपने एजेंडा के बारे में बताती है।

अनुच्छेद 96

प्रेसिडेंट बिना बहस के असेंबली को एड्रेस कर सकते हैं।

अनुच्छेद 97

मिनिस्टरी असेंबली और कमेटियों में शामिल हो सकते हैं और बोल सकते हैं।

अनुच्छेद 98

डेप्युटी सरकार से सवाल पूछ सकते हैं और लिखकर या बोलकर सवाल पूछ सकते हैं।

अनुच्छेद 99

कानून के खास अधिकार (अधिकार, अपराध, टैक्स, रक्षा, प्रशासन, संसाधन, चुनाव, वगैरह) बताता है।

अनुच्छेद 99 bis

ऑर्गेनिक कानून से चलने वाले चुनाव सिस्टम।

अनुच्छेद 100

कानून बुनियादी पॉलिसी सिद्धांत (रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, श्रम, अर्थव्यवस्था) तय करता है।

अनुच्छेद 101

सालाना फाइनेंस कानून, सुधार कानून, रेगुलेशन कानून और प्रोग्राम कानून बताए गए हैं।

अनुच्छेद 102

राज्य के फाइनेंस को ध्यान में रखते हुए, ऑर्गेनिक कानून से टॉप अधिकारियों की सैलरी और फायदे तय किए गए हैं।

अनुच्छेद 103

कानून के बाहर के मामले रेगुलेटरी हैं; पुराने कानूनी टेक्स्ट में आदेश से बदलाव किया जा सकता है।

अनुच्छेद 104

युद्ध की घोषणा और सेना की तैनाती के लिए असेंबली की मंज़ूरी ज़रूरी है।

अनुच्छेद 105

असेंबली की निगरानी में घेराबंदी की घोषणा; इस दौरान असेंबली को भंग नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 106

सरकार पार्लियामेंट की मंज़ूरी के तहत अध्यादेशों से कानून बना सकती है।

अनुच्छेद 107

सरकार की ज़िम्मेदारी निंदा या विश्वास मत के ज़रिए ली जाती है।

अनुच्छेद 108

निंदा या विश्वास खोने पर सरकार को इस्तीफ़ा देना पड़ता है।

अनुच्छेद 109

कानूनी पहल का अधिकार सरकार और डेप्युटीज़ का है।

अनुच्छेद 110

गैर-कानूनी या गलत प्रस्ताव नामंज़ूर; विवादों का निपटारा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट द्वारा किया जाता है।

अनुच्छेद 111

बिना मुआवज़े के रेवेन्यू कम करने या खर्च बढ़ाने वाले बिल नामंज़ूर।

अनुच्छेद 112

कमेटी के टेक्स्ट पर आधारित पार्लियामेंट्री बहस।

अनुच्छेद 113

असेंबली कानूनी प्रक्रिया के अनुसार फाइनेंस लॉ पर वोट करती है।

अनुच्छेद 114

बजट बैलेंस्ड होना चाहिए; फेल होने पर ऑर्डिनेंस-बेस्ड बजट बनता है।

अनुच्छेद 115

असेंबली नेशनल अकाउंट्स की देखरेख करती है; कोर्ट ऑफ़ अकाउंट्स उसकी मदद करता है।

VI – ज्यूडिशियल पावर का

अनुच्छेद 116

ज्यूडिशियरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंट है।

अनुच्छेद 117

लोगों के नाम पर दिया गया न्याय; सभी पर लागू।

अनुच्छेद 118

मजिस्ट्रेट इंडिपेंडेंट हैं और सिर्फ कानून के अधीन हैं।

अनुच्छेद 119

जजों को सेफगार्ड के साथ अपॉइंट किया जाता है; सिटिंग जजों को हटाया नहीं जा सकता।

 कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट

अनुच्छेद 120

कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल और इलेक्टोरल मामलों को देखता है।

अनुच्छेद 121

कोर्ट में 7 मेंबर होते हैं, अलग-अलग लीगल रिप्रेजेंटेशन; 6 साल का नॉन-रिन्यूएबल टर्म।

अनुच्छेद 122

मेंबर को टेन्योर की सिक्योरिटी और इम्यूनिटी मिलती है।

अनुच्छेद 123

कोर्ट का प्रेसिडेंट 3 साल के लिए चुना जाता है।

अनुच्छेद 124

मेंबर इम्पार्शियलिटी और इंडिपेंडेंस की शपथ लेते हैं।

अनुच्छेद 125

दूसरे ऑफिस के साथ तालमेल न होना; ऑर्गेनिक लॉ कोर्ट को रेगुलेट करता है।

अनुच्छेद 126

कोर्ट कानूनों, असेंबली के नियमों और इंस्टीट्यूशनल झगड़ों का रिव्यू करता है।

अनुच्छेद 127

कोर्ट चुनाव और रेफरेंडम को वैलिडेट करता है।

अनुच्छेद 128

चुनावी झगड़ों का 5 दिनों के अंदर फैसला।

अनुच्छेद 129

कोर्ट ज़रूरी कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन (चुनाव, वैकेंसी, इमरजेंसी) पर नियम बनाता है।

अनुच्छेद 130

कोर्ट प्रेसिडेंट की शपथ लेता है।

अनुच्छेद 131

ऑर्गेनिक कानूनों का ज़रूरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू।

अनुच्छेद 132

कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्शन (एक्सेप्शन) की इजाज़त है।

अनुच्छेद 133

कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन पर एडवाइज़री ओपिनियन जारी करता है।

अनुच्छेद 134

कोर्ट के फैसले आखिरी और मानने वाले होते हैं।

अनुच्छेद 135

कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को खत्म या सस्पेंड नहीं किया जा सकता।

दूसरे कोर्ट
अनुच्छेद 136

कोर्ट ऑफ़ कैसेशन सबसे ऊँची ज्यूडिशियल कोर्ट है।

अनुच्छेद 137

काउंसिल ऑफ़ स्टेट सबसे ऊँची एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है।

अनुच्छेद 138

काउंसिल ऑफ़ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव और इलेक्टोरल अपील देखती है।

अनुच्छेद 139

काउंसिल सरकार को ड्राफ़्ट कानूनों और आदेशों पर सलाह देती है।

अनुच्छेद 140

काउंसिल कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव सुधारों का सुझाव दे सकती है।

अनुच्छेद 141

कोर्ट ऑफ़ अकाउंट्स पब्लिक फाइनेंस को कंट्रोल करता है।

हाई कोर्ट ऑफ़ जस्टिस
हाई कोर्ट ऑफ़ जस्टिस
अनुच्छेद 142

राष्ट्रपति सिर्फ़ हाई ट्रेज़न के लिए ज़िम्मेदार; सरकारी सदस्यों पर ऑफ़िशियल अपराधों के लिए सज़ा।

अनुच्छेद 143

हाई कोर्ट ऑफ़ जस्टिस की बनावट और स्ट्रक्चर।

अनुच्छेद 144

इंपीचमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी (राष्ट्रपति) या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी (मंत्रियों) की ज़रूरत होती है।

अनुच्छेद 145

कोर्ट मौजूदा पीनल लॉ लागू करता है; प्रोसीजर कानून द्वारा तय किया जाता है।

VII – इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट

अनुच्छेद 146

राज्य इनक्लूसिव ग्रोथ, सोशल जस्टिस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता है।

अनुच्छेद 147

नाइजीरियाई लोगों की एनर्जी सॉवरेनिटी और प्रायोरिटी एम्प्लॉयमेंट।

अनुच्छेद 148

नेचुरल रिसोर्स लोगों के हैं।

अनुच्छेद 149

रिसोर्स का इस्तेमाल ट्रांसपेरेंट और सस्टेनेबल होना चाहिए।

अनुच्छेद 150

रिसोर्स कॉन्ट्रैक्ट और रेवेन्यू पब्लिश होने चाहिए।

अनुच्छेद 151

राज्य कॉन्ट्रैक्ट का पालन पक्का करता है।

अनुच्छेद 152

राज्य और लोकल सरकारों के बीच रिसोर्स रेवेन्यू शेयर किया जाता है।

अनुच्छेद 153

खास सेक्टर और आने वाली पीढ़ियों के फंड में प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट।

अनुच्छेद 154

इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल काउंसिल प्रेसिडेंट और असेंबली को सलाह देती है।

अनुच्छेद 155

काउंसिल ऑर्गेनिक लॉ से रेगुलेटेड है।

VIII – सुपीरियर काउंसिल ऑफ़ कम्युनिकेशन

अनुच्छेद 156

CSC एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है।

अनुच्छेद 157

CSC मीडिया की आज़ादी, एथिक्स, प्लूरलिज़्म और कल्चरल प्रमोशन पक्का करता है।

अनुच्छेद 158

मीडिया की आज़ादी की गारंटी; पब्लिक और प्राइवेट मीडिया की पब्लिक सर्विस ड्यूटी होती है।

अनुच्छेद 159

CSC को एक चुने हुए ब्यूरो द्वारा मैनेज किया जाता है।

अनुच्छेद 160

मेंबर क्वालिफाइड प्रोफेशनल होने चाहिए।

अनुच्छेद 161

CSC की बनावट इंस्टीट्यूशनल और सोशल डाइवर्सिटी को दिखाती है।

अनुच्छेद 162

CSC मेंबर 5 साल के नॉन-रिन्यूएबल टर्म के लिए काम करते हैं।

अनुच्छेद 163

CSC ऑर्गेनिक लॉ से चलता है।

IX – टेरिटोरियल कलेक्टिविटीज़

अनुच्छेद 164

डीसेंट्रलाइज़ेशन पर आधारित टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन।

अनुच्छेद 165

राज्य बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट पक्का करता है।

अनुच्छेद 166

कोर्ट और काउंसिल ऑफ़ स्टेट की देखरेख में लोकल चुनाव।

अनुच्छेद 167

पारंपरिक लीडरशिप को मान्यता दी गई है, लेकिन उसे न्यूट्रल रहना होगा।

X – ट्रीटीज़

अनुच्छेद 168

राष्ट्रपति ट्रीटीज़ पर बातचीत करते हैं और उन्हें मंज़ूरी देते हैं।

अनुच्छेद 169

कुछ ट्रीटीज़ के लिए पार्लियामेंट्री मंज़ूरी की ज़रूरत होती है।

अनुच्छेद 170

गैर-संवैधानिक ट्रीटी में कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव की ज़रूरत होती है।

अनुच्छेद 171

रिफाय की गई ट्रीटी को कानूनों पर सुप्रीमेसी होती है।

XI – इंटरनेशनल कोऑपरेशन

अनुच्छेद 172

नाइजर अफ्रीकी एकता और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए सॉवरेनिटी शेयर कर सकता है।

XII – कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव

अनुच्छेद 173

प्रेसिडेंट या डेप्युटी द्वारा शुरू किया गया बदलाव।

अनुच्छेद 174

इसके लिए 3/4 असेंबली मेजॉरिटी या रेफरेंडम की ज़रूरत होती है।

अनुच्छेद 175

असंशोधन न किए जा सकने वाले प्रोविज़न: रिपब्लिकन फॉर्म, सेक्युलरिज़्म, टर्म लिमिट।

XIII – ट्रांज़िशनल प्रोविज़न

अनुच्छेद 176–182

डेमोक्रेटिक ट्रांज़िशन के दौरान कंटिन्यूटी पक्का करें; अगर मौजूदा कानून कॉन्स्टिट्यूशनल हैं तो वे वैलिड रहते हैं।

XIV – फाइनल प्रोविज़न

अनुच्छेद 183

रेफरेंडम से संविधान अपनाया गया।

अनुच्छेद 184

ऑर्गेनिक कानूनों को 2 साल के अंदर अपनाना ज़रूरी है।

अनुच्छेद 185

18 फरवरी 2010 को तख्तापलट में शामिल लोगों को माफ़ी दी गई।